राज्य योजना
संख्याः 4425 /1/2005-06(1)/52/05

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 29 अगस्त, 2005

विषयः– राज्य योजना मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 में जिला हरिद्वार के कृषि पोषकों को अलग–2 पोषकों से विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5013/ऊ0एवं0प्र0नि0/उपाकालि/डी–4, दिनांक 28.07.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला हरिद्वार के कृषि पोषकों को अलग–2 फीडरों से विद्युत आपूर्ति करने हेतु राज्य सैक्टर से श्री राज्यपाल रु0 5,00,00,000.00 (रु0 पांच करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन में रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यों का विस्तृत आगणन, कार्यों का विस्तृत विवरण, समयबद्ध समय सारिणी, लागत, लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का विस्तृत विवरण, पृथक पोषक से लाभान्वित होने वाले नलकूपों का विवरण शासन को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर उक्त बिन्दुओं पर वास्तविक विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय एवं कार्यों का क्रियान्वयन परियोजना मोड में यथोचित बारचार्ट/पर्ट चार्ट आदि पूर्व में निश्चित कर किया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, संबंधित ग्राम प्रधानों को कार्य कराने से पूर्व व बाद में उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथोचित माध्यम से प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा।

3– योजना के अधीन लाभान्वित होने वाले सभी नलकूपों पर यथोचित विद्युत मीटर लगाये जायेंगे तथा नलकूपों में विद्युत संरक्षण आदि हेतु भी यथोचित व्यवस्था कराई जाने हेतु नलकूप स्वामियों को प्रेरित किया जायेगा/व्यवस्था कराई जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल उक्त कार्यों एवं उद्देश्य हेतु ही व्यय की जायेगी।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा हस्ताक्षरित एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

6– व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक स्टोर पर्चेज तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तदविषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

7– नये कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8– स्वीकृत कार्यों की कम्प्यूटरीकृत सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का आहरण त्रैमासिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

9– आवश्यक सामग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जॉच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

10– ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा ऋण रु0 6.5% की दर निर्धारित है। इस ऋण पर भी ब्याज की दर 6.5% निर्धारित की जाती है तथा विलम्ब की दशा में 1.0% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी 10 वार्षिक किश्तों में (ब्याज सहित) माह अप्रैल, 2006 से प्रारम्भ होगा।

....2

11- प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तरांचल को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

12- उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 जब भी किश्तों का भुगतान करें ब्याज भी अवश्य जमा करे एवं महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारुप पर भेंजे:-

1- कोषागार का नाम, 2- चालान सं0, 3- जमा धनराशि, किस्त, ब्याज, 4- शासनादेश संख्या और एरा0एल0आर0 का संदर्भ, 5- लेखाशीर्षक , जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

13- ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखे से अवश्य करे तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा लें।

14- भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था द्वारा प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।

15- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2006 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का मासिक रुप से व्यय विवरण शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

16- स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अनुदान सं0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पुनरेक्षण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ऋण-00-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 1307/XXVII(3)/2005 दिनांक 21 अगस्त, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः 4125 /I/2005-06(1)/52/05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल ।
2- कोषाधिकारी, देहरादून।
3- जिलाधिकारी, देहरादून
4- वित्त अनुभाग-3
5- नियोजन विभाग।
6- श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
7- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
8- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9- विशेष सैल, ऊर्जा।
10- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव